BSES

लोक अदालत में मौके पर ही सुलझाए 2601 मामले

- कुल 2795 मामले आए थे, 93 प्रतिशत मामलों का तत्काल निपटारा
- 4.31 करोड़ में निपटे बिजली चोरी के तमाम मामले
- पंद्रह दिनों से एक माह के भीतर करना होगा भुगतान

नई दिल्ली: 14 सितंबर, 2009। बिजली चोरी संबंधी मामलों को तत्काल सुलझाने के लिए आयोजित *लोक अदालत* में 2601 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शनिवार व रविवार को, हाईकोर्ट परिसर में आयोजित इस अदालत में बिजली चोरी के कुल 2795 मामले आए, जिनमें से 93 प्रतिशत मामलों का ऑन–द–स्पॉट समाधान कर दिया गया। कुल 4.31 करोड़ रूपये में ये मामले सुलझाए गए। *दिल्ली हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति* के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था।

	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	कुल
कुल आए मामले	1444	1354	2795
तत्काल निपटाए गए मामले	1308	1293	2601
कितने रूपये में सुलझे मामले	2.25 करोड़	2.06 करोड़	4.31 करोड़

मामलों का निपटारा करने के लिए 12 अदालतें लगाई गईं। 7 अदालतों ने बीआरपीएल से जुड़े मामले देखे, जबकि 5 अदालतों ने बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के मामले निपटाए। कटिया डालकर की जाने वाली चोरी और मीटर के साथ छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली चोरी– दोनों तरह के मामले यहां निपटाए गए। उपभोक्ताओं के 1 लाख रूपये तक के बिजली चोरी के मामले इस अदालत में सुलझाए गए। अब उन्हें पंद्रह दिनों से एक माह के भीतर बीएसईएस एन्फोर्समेंट ऑफिस में रकम का भुगतान करना होगा।

बिजली चोरी के जो मामले किसी अदालत में नहीं चल रहे थे, उन्हें तो यहां निपटाया ही गया, साथ ही ऐसे मामलों को भी सुलझाया गया, जो अन्य अदालतों में लंबित पड़े थे और जिनका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया था। अपने मामले सुलझाने के इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील की गई थी कि वे या तो व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित हों, या फिर अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को वहां भेजें।

करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस संबंध में पत्र भेज कर अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, एफएम चैनलों व अखबारों में भी इस बारे में सूचनाएं प्रसारित की गईं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस लोक अदालत का फायदा उठा सकें।

मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बीएसईएस ने खास इंतजाम किए थे। यह पूरी तरह से एक पेपरलेस (कागजविहीन) लोक अदालत थी और फाइलें इधर से उधर नहीं करनी पड़ीं। हर जरूरी सूचना कंप्यूटर स्कीन पर उपलब्ध थी। कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां 16 कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई थी।

गौरतलब है कि पिछले साल आयोजित लोक अदालत में कुल 2500 मामले आए थे, जिनमें से 92 प्रतिशत मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया था। जबकि इस बार, कुल 2795 मामले आए, जिनमें से 83 प्रतिशत मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।

लोक अदालत में बीएसईएस ने 12 स्पेशल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की थी, जो वहां पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को गाइड कर रही थीं और उन्हें जानकारियां उपलब्ध करा रही थीं। एक हेल्प डेस्क खासतौर पर बुजुर्ग व विकलांग लोगों के लिए थी, और एक महिलाओं के लिए भी।

बीएसईएस प्रवक्ता का कहना है कि विशेष *लोक अदालत* ने उपभोक्ताओं को जहां एक ओर मौके पर ही अपने बिजली चोरी संबंधी मामले व विवाद को निपटाने के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर, इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी और अधिक से अधिक उपभोक्ता बिलिंग नेट में आएंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304